न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/87/2019

अपींलाट जगदीश विश्नोई पुत्र श्री ठाकरराम विश्नोई
निवासी खिलेरी कृषि फार्म, बाई पास रोड़ चौहटन, तहसील चौहटन

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौहटन

आदेश

दिनांक : 07.01.2020

अपीलार्थी जगदीश विश्नोई पुत्र श्री ठाकरराम विश्नोई निवासी खिलेरी कृषि फार्म, बाई पास रोड़ चौहटन, तहसील चौहटन ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार चौहटन के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 25.11.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 945365 दिनांक 17.10.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौहटन को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के आवेदन पत्र का जवाब जरिए पत्र क्रमांक 1333 दिनांक 27.11.2019 भिजवाया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा भू–अभिलेख दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई हैं जिसके लिये राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 में विशेष प्रावधान किया गया हैं तथा उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय नहीं है, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना भू–अभिलेख दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां विशेष विधि के तहत ही देय हैं जिसके लिये प्रशासनिक सुधार विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणित प्रतिलिपियां दिया जाना निर्बन्धित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Ansh

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 10:52:53 IST
Reason: SelfAttested